

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.7(954)/निचिस्वा/विधि/अव./2015/140

दिनांक:-09.02.15

उप निदेशक (नर्सिंग-द्वितीय),
मुख्यालय एवं समन्वयक।

विषय:-एस.बी.सि.अवमानना याचिका संख्या: 1016/2014 (अन्तर्गत एस0बी0 सि0 रिट याचिका संख्या 6393/2012) रूकमणी कुशवाहा व अन्य (जीएनएम अवधि को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने से संबंधी) बनाम डॉ0 बी0आर0मीणा0, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थागण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए श्री जग मोहन सक्सैना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

प्रकरण में पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7()/निचिस्वा/विधि/10/513 दिनांक 24.02.10 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:-09.02.15

क्रमांक: प.7(954)/निचिस्वा/विधि/अव./2014/140

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री जग मोहन सक्सैना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करें।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याचिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करावें। साथ ही निर्णय की नियमानुसार पालना/अपील/नो अपील की कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
4. श्री जग मोहन सक्सैना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 30.01.2015 के क्रम में।
5. डीलिंग असिस्टेन्ट, उच्च न्यायालय जयपुर सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर